जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद की अध्यक्षता में दिनांक-28.12.2020 को हुई Monday Follow Up Meeting की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी में दर्ज।

कार्यवाही :-

क्र०	शाखा का नाम	विषय	अनुपालन हेतु दिए गए निदेश
1	2	5	
1	निर्वाचन	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त श्री विजय कुमार प्रजापति, ग्राम-पो०-थाना गोह, जिला-औरंगाबाद, बिहार के अभ्यावेदन का हस्तातरण।	उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि आर०ओ०, गोह एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोह को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अभ्यावेदन हस्तांतरित कर दिया गया है। (अनु०-आर०ओ०, गोह/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोह, औरंगाबाद)
2	आई०सी०डी०एस०	कामकाजी महिला छात्रावास योजना अंतर्गत प्रस्ताव के संबंध में।	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई०सी०डी०एस०, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से बात कर प्रस्ताव तैयार करें। (अनु०-जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, औरंगाबाद)
3		वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की राशि व्यय करने हेतु मार्ग दर्शन के संबंध में।	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई०सी०डी०एस०, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 66 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही, यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 35, 2016-17 में 11 एवं इस वित्तीय वर्ष में 31 केन्द्र का निर्माण हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि निदेशक, डी०आर०डी०ए०, औरंगाबाद इस हेतु नयी कमिटी बनाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करें। (अनु०-निदेशक, डी०आर०डी०ए०, औरंगाबाद/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, औरंगाबाद)
4	कल्याण/ आपदा	आकस्मिक मृत्यु (दुर्घटना) सहायता राशि देने के संबंध में।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा शाखा, औरंगाबाद को इसे देखने एवं निराकरण करने का निदेश दिया गया। (अनु०-प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा शाखा)
5	सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत	महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक आहूत करने के संबंध में।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक आयोजित किए जाने हेतु संचिका उपस्थापित की गयी है। (अनु०-प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, औरंगाबाद)
6		लोक लेखा समिति की उपसमिति-04 की दिनांक-13.09.2019 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन के संबंध में।	
7	कल्याण	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि छात्रावास निर्माण हेतु मदनपुर प्रखण्ड में 17 एकड़ जमीन (गैरमजरूआ मालिक) उपलब्ध है, जिसे देखा जा रहा है। तत्पश्चात प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। निदेश दिया गया कि अपर समाहर्ता, औरंगाबाद से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें। (अनु०-जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद)
8		जिलान्तर्गत सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में पाईप्ड, जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के 100 दिवसीय अभियान के क्रियान्वयन के आलोक में चापाकल, बोरिंग एवं बाह्य स्रोत से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है। निदेश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, औरंगाबाद से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करने एवं बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता को इसे देखने हेतु निदेशित किया गया। (अनु०-जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद/सहायक अभियन्ता, पी०एच०ई०डी०, औरंगाबाद)

9		"Aspriational District" के रूप में जिलो में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में।	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि छात्रावास निर्माण हेतु मदनपुर प्रखण्ड में 17 एकड़ जमीन (गैरमजरूआ मालिक) उपलब्ध है, जिसे देखा जा रहा है। तत्पश्चात् प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। निदेश दिया गया कि अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें। (अनु०:–जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद)
10		छात्रवृति मद में आवंटित राशि एवं वितरित राशि की जांच के संबंध में।	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि जाच करायी जा रही है। यह भी बताया गया कि जिला गोपनीय शाखा से भी उक्त मामले की जाच हेतु आदेश निर्गत हुआ है। निदेश दिया गया कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा से समन्वय स्थापित कर इस सप्ताह में पैसा की जांच के साथ–साथ विद्यालयों की जाच हेतु भी पत्र निर्गत करवायें। (अनु०:–जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)
11		अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी, मदनपुर से प्रस्ताव की मांग की गयी है। निदेश दिया गया कि प्रस्ताव प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करें। (अनु०:–जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद)
12	आपदा	**क्वोरंटीन केन्द्रों में आवासित व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने वाले वस्त्र एवं बर्तन इत्यादि हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, औरंगाबाद को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से वार्त्ता कर प्रतिवेदन करने हेतु निदेशित किया गया। (अनु०:–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, औरंगाबाद)
13	पंचायत	बिहार राज्य में पंचायत स्तर पर बैंक शाखाओं के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि दाउदनगर को छोड़कर शेष प्रखण्डों से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर से प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करें। (अनु०:–जिला पंचायती राज पदाधिकारी, औरंगाबाद)
14		राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान बेंच नई दिल्ली में दायर O.A No. 606/2018, दिनांक–31.01.2020 के अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करायें। (अनु० :–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर)
15	राजस्व	डी०एफ०सी०सी० परियोजना हेतु बिहार सरकार खाते की भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में।	अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि क्रमांक 15 से 19 में वर्णित विषयों के संबंध में आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को प्रतिवेदन भेजा गया था। आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा पुनः हस्तांतरित किए जाने वाले भूमि के अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारियों को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर जल्द आयुक्त महोदय को भेजें। (अनु०:–अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, औरंगाबाद)
16		DFCCIL परियोजना हेतु सरकारी भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में।	
17		डी०एफ०सी०सी० परियोजना हेतु बिहार सरकार खाते की भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में।	
18		**डी०एफ०सी०सी० परियोजना हेतु बिहार सरकार खाते की भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में।**	
19		डी०एफ०सी०सी० परियोजना हेतु बिहार सरकार खाते की भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में।	
20		जमाबंदी पंजी एवं राजस्व अभिलेखों को अधिसूचित कार्यालय में रखे जाने के संबंध में।	अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि जमाबंदी पंजी एवं राजस्व अभिलेखों को अंचल कार्यालय में रखे जाने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अभिलेख कार्यालय में रखवाना सुनिश्चित करायें। (अनु०–अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद)
21		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत Dumping Site हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।	मदनपुर प्रखण्ड में जमीन उपलब्ध कराने एवं अंचल अधिकारी के साथ जमीन देखने हेतु निदेशित किया गया। (अनु०:–प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा)
22		औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर में प्रस्तावित 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र के स्थापनार्थ दाउदनगर प्रखण्ड अन्तर्गत 08 (आठ) एकड़ उपयुक्त सरकारी/रैयती भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।	अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी के स्तर से जमीन चिन्हित कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर को प्रतिवेदन भेजा गया है। निदेश दिया गया कि अग्रेतर कार्रवाई करें। (अनु०–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद)

23		कृषि योग्य भूमि के सम्परिवर्तन से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर से प्रतिवेदन प्राप्त है। जल्द ही प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया जाएगा। **(अनु०–जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद)**
24		रफीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत **अरगुआ में ऑडीटोरियम** निर्माण के संबंध में।	सहायक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला सहयोग नियमानुसार लाभार्थियों को प्रदान कराया जाय। (अनु०–सहायक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद।
25	अन्यान्य	चरवाहा विद्यालय, रफीगंज में चापाकल निर्माण के संबंध में।	निदेश दिया गया कि उक्त विद्यालय में चापाकल निर्माण **हेतु जिला कृषि पदाधिकारी से NOC प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करें।** **(अनु०–जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/31.12.20

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक–5514 /गो०, दिनांक– 31/12/2020

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद/उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद/सिविल सर्जन, औरंगाबाद/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद/अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, औरंगाबाद/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, औरंगाबाद/जिला सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद/खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), औरंगाबाद/जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद/समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, औरंगाबाद/जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा, औरंगाबाद/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, औरंगाबाद/सहायक निदेशक, बाल संरक्षण औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर एवं रफीगंज/प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, औरंगाबाद/जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/31.12.20

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।